

भारत में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

Kumud Srivastava

Ph.D. Scholar

Department of Sociology

Malwanchal University Indore, (M.P.).

Dr. Sanjeev Mahajan

Supervisor

Department of Sociology

Malwanchal University Indore, (M.P.)

शोध सार

वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण विमर्श का विषय बन चुका है, विशेषकर विकासशील एवं पिछड़े देशों में, क्योंकि अब यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाने लगा है कि महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के बिना किसी भी देश की प्रगति संभव नहीं है। वास्तव में सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है, जो आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसके लिए निर्भयता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता तथा उपयुक्त शिक्षा का होना अनिवार्य है। उपलब्धता और सामर्थ्य ही महिला सशक्तिकरण की वास्तविक पहचान हैं। सशक्तिकरण की प्रक्रिया महिला में ऐसी जागरूकता उत्पन्न करती है कि वह शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर सके, अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित कर सके तथा घर और समाज दोनों स्तरों पर निर्णय-निर्माण में अपनी सहभागिता बढ़ा सके। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा से संबंधित अनेक शैक्षिक योजनाएँ और कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण रहा है। महिलाएँ विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत हैं, अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। इस तथ्य का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि 'महिला सशक्तिकरण' को सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र में भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया है।

कुंजी शब्द— महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, महिला शिक्षा, शैक्षिक नीतियाँ, विकास।

प्रस्तावना—

किसी भी राष्ट्र की परंपरा और संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब उस राष्ट्र की महिलाओं में दिखाई देता है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता

अर्थात् जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है।

स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, 'स्त्रियों की स्थिति में सुधार किए बिना संसार का कल्याण संभव नहीं है। एक पक्षी एक पंख के सहारे उड़ नहीं सकता।'।

महात्मा गांधी ने 1925 में कहा था कि 'जब तक भारत की महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी नहीं करतीं, तब तक देश का उद्धार संभव नहीं है।'

वास्तव में, समाज अथवा राष्ट्र में महिलाओं की सशक्त, सम्मानजनक और गरिमामय स्थिति उस समाज की उन्नत, समृद्ध और सुदृढ़ अवस्था का प्रतीक होती है। मानव जीवन के विकास में नारी की भूमिका आदि काल से लेकर वर्तमान तक अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, इसी कारण उसे 'अर्धांगिनी' कहा गया है। नारी मानव जीवन-रथ के एक पहिए के समान है। जैसे मानव शरीर तभी पूर्णतः स्वस्थ और विकसित माना जाता है जब उसके सभी अंग स्वस्थ और परिपक्व हों, उसी प्रकार मानव समाज भी तभी स्वस्थ और विकसित कहा जा सकता है जब संपूर्ण समाज का आधा भाग नारी पुरुष के समान स्वस्थ, सशक्त और विकसित हो।

महिला विकास की प्रक्रिया के मूलतः दो प्रभावी उपाय माने जाते हैं— 'शिक्षा और सशक्तिकरण'। शिक्षा वह साधन है जो मानव जीवन के स्तर को ऊँचा उठाती है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से मनुष्य की प्रतिभा, योग्यता और संभावनाओं का विकास होता है। शिक्षा समाज की लिखित एवं मुद्रित संस्कृति को समझने तथा उसके साथ सक्रिय संवाद स्थापित करने की क्षमता प्रदान करती है। यह व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति और बोध को परिष्कृत करती है, बुद्धि को प्रखर बनाती है तथा उसे एक जागरूक नागरिक और विवेकशील उपभोक्ता के रूप में विकसित करती है। शिक्षा आत्मनिर्भरता, स्वायत्तता, अधिकार-बोध, आत्म-साक्षात्कार, आध्यात्मिक चेतना और अपने अस्तित्व की अनुभूति का विकास करती है। शिक्षा ज्ञान का अमूल्य अस्त्र है और ज्ञान शक्ति का प्रतीक माना जाता है।

दूसरी ओर, 'सशक्तिकरण' एक मानसिक अवस्था है, जो आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। नारी सशक्तिकरण के लिए निर्भयता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता और उपयुक्त शिक्षा अनिवार्य शर्तें हैं। उपलब्धता और सामर्थ्य ही महिला सशक्तिकरण की वास्तविक पहचान हैं। सशक्तिकरण की प्रक्रिया महिला में इतनी जागरूकता उत्पन्न करती है कि वह शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त कर सके, अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित कर सके तथा घर और समाज दोनों स्तरों पर निर्णय-निर्माण में अपनी भागीदारी बढ़ा सके।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया और इसे महिला विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना। उनका मानना था कि यदि किसी पुरुष को शिक्षा मिलती है तो वह स्वयं विकसित होता है, किंतु यदि किसी महिला को शिक्षा मिलती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करती है। समाज का भावी नागरिक माँ की छत्रछाया में जीवन के प्रारंभिक संस्कार प्राप्त करता है वहीं वह हँसना, बोलना, चलना और व्यवहार करना सीखता है। यदि माँ शिक्षित होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव संतान पर अवश्य पड़ता है।

महिला शिक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न पक्षों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण एक-दूसरे के पूरक हैं तथा इनके बीच घनिष्ठ अंतर्संबंध है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो महिलाओं

के व्यक्तित्व में अपेक्षित विकास ला सकती है, समाज में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर सकती है, सामाजिक दृष्टिकोण और मानसिकता में परिवर्तन कर सकती है, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बना सकती है तथा उनमें आत्मविश्वास का संचार कर सकती है। अंततः यही प्रक्रिया महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है।

भारतीय समाज में अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रही है। वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर व्यापक चर्चा हो रही है। वस्तुतः सशक्तिकरण एक अंतःसामाजिक प्रक्रिया है, जो भेदभावपूर्ण और पूर्वाग्रही सामाजिक धारणाओं, विचारधाराओं, धार्मिक मान्यताओं तथा उन विधानों को चुनौती देती है जो शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा देते हैं, और उनके स्थान पर सामाजिक एवं समुदाय-आधारित समानतापूर्ण संबंधों की स्थापना करती है।

महिला सशक्तिकरण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि महिलाओं में शिक्षा का आधार व्यापक हो तथा उसकी गुणवत्ता उच्च स्तर की हो। नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा ही वह प्रभावी अस्त्र है जो व्यक्ति को कुशल, ज्ञानवान और सक्षम बनाती है तथा उसमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है।

महिला शिक्षा की आवश्यकता—

- महिलाओं को शिक्षित करना भारत में व्याप्त अनेक सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या तथा कार्यस्थल पर उत्पीड़न को समाप्त करने की दिशा में एक प्रभावी उपाय सिद्ध हो सकता है।
- यह देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि अधिक संख्या में शिक्षित महिलाएँ श्रमबल में सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं।
- हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के स्तर के बीच प्रत्यक्ष संबंध है।
- इस सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि जितनी अधिक शिक्षित महिलाएँ होती हैं, उनके बच्चों का पोषण स्तर उतना ही बेहतर होता है।
- अनेक विकास अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय से इस विषय का अध्ययन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि बालिकाओं की शिक्षा उन्हें सामाजिक परिवर्तन की सक्रिय संवाहक (एजेंट ऑफ चेंज) के रूप में उभरने में सक्षम बनाती है।

महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएँ—

- भारतीय समाज मूलतः पुरुष-प्रधान है। महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता और उन्हें प्रायः घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया जाता है। यद्यपि शहरी क्षेत्रों में स्थिति ग्रामीण

क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है, फिर भी यह तथ्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

- हम वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, किंतु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे सामने एक कठोर वास्तविकता के रूप में विद्यमान है। यहाँ तक कि देश की अनेक शिक्षित और कार्यरत शहरी महिलाएँ भी लैंगिक भेदभाव का अनुभव करती हैं।
- समाज में यह भ्रांति व्यापक रूप से प्रचलित है कि किसी कार्य या परियोजना को करने में महिलाओं की दक्षता पुरुषों की तुलना में कम होती है। इसी सोच के कारण देश में महिलाओं और पुरुषों के औसत वेतन में उल्लेखनीय अंतर देखने को मिलता है।
- महिलाओं की सुरक्षा आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसके कारण अनेक माता-पिता अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने में संकोच करते हैं। यद्यपि इस दिशा में सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि अब तक ये प्रयास इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर पाए हैं।

भारत में महिला शिक्षा की स्थिति—

अशिक्षित व्यक्ति प्रायः सामाजिक परिवर्तनों के प्रति उदासीन रहता है और अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं को ही अंतिम सत्य मान लेता है। सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय एकता के लिए शत-प्रतिशत साक्षरता अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक जीवन-शैली, कर्तव्य-बोध, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, नैतिक मूल्यों का संरक्षण आदि के लिए शिक्षा अनिवार्य मानी जाती है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होता है, इसलिए सभी का शिक्षित होना आवश्यक है, किंतु आज भी निरक्षरता हमारे देश के लिए एक गंभीर अभिशाप बनी हुई है। महिला निरक्षरता की स्थिति तो और भी अधिक चिंताजनक है। वर्ष 1901 में भारत में महिला साक्षरता दर मात्र 0-6 प्रतिशत थी, जो स्वतंत्रता के पश्चात 1951 में बढ़कर भी केवल 8-9 प्रतिशत तक ही पहुँच सकी।

स्वतंत्र भारत के संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नए शताब्दी में प्रवेश करने के बाद भी हम अब तक इस लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

तालिका-1

भारत में 1901 से 2011 तक महिला साक्षरता की वृद्धि

वर्ष	कुल वृद्धि	पुरुष	स्त्री	कुल वृद्धि का अन्तर
1901	5.35	9.83	0.60	9.23
1911	5.92	10.56	1.05	9.57

1921	7.16	12.21	1.81	10.40
1931	9.50	15.59	2.93	12.60
1941	16.10	24.90	7.30	17.60
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.56	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.80	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

भारत की जनगणना-2011

जनगणना 2011 की अंतिम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि 2001 की जनगणना के बाद के दशक में भारत ने साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2011 में देश की कुल साक्षरता दर 74-04 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि 2001 में यह 64-84 प्रतिशत थी। इसी अवधि में महिला साक्षरता दर में विशेष वृद्धि देखने को मिली। वर्ष 2001 में महिला साक्षरता दर 53-7 प्रतिशत थी, जो 2011 में बढ़कर 65-5 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता दर में 11-79 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि 6-88 प्रतिशत रही।

वर्ष 2011 में जिन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही, उनमें केरल, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, नागालैंड, कर्नाटक, असम, मेघालय, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह तथा दमन और दीव शामिल हैं। इनमें से अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटे हैं।

इसके विपरीत, वर्ष 2011 में महिला साक्षरता के संदर्भ में बिहार, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपेक्षाकृत पिछड़े हुए पाए गए। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक और क्रांतिकारी परिवर्तन तभी संभव है, जब इन बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों में महिला शिक्षा का सशक्त विकास किया जाए। साक्षरता और नामांकन से संबंधित विभिन्न आँकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा में लैंगिक भेदभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है।

यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित बच्चों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विश्व में सबसे अधिक बाल जनसंख्या है। विश्व स्तर पर लगभग 12 करोड़ बच्चे विद्यालय नहीं जाते, जिनमें से आधे से अधिक बालिकाएँ हैं। शिक्षा से वंचित ये बालिकाएँ अपेक्षाकृत अधिक दुर्भाग्यशाली होती हैं, क्योंकि वे गरीबी, भूख, हिंसा, शोषण

और मानव तस्करी के दुष्क्रम में आसानी से फँस जाती हैं। इस प्रकार निरक्षरता के कारण बालिका को सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बच्चों अथवा बालिका शिक्षा दोनों ही संदर्भों में देश में अशिक्षित बच्चों की संख्या अधिक होने का एक प्रमुख कारण कुल बाल जनसंख्या का अत्यधिक होना है।

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। देश में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या लगभग 37.5 करोड़ तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या लगभग 15.8 करोड़ है। किंतु वास्तविकता यह है कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष अरबों-खरबों रुपये व्यय किए जाने तथा अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए जाने के बावजूद इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। वर्तमान में देश में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से केवल 19 करोड़ बच्चे ही प्राथमिक विद्यालयों तक पहुँच पा रहे हैं, जबकि शेष लगभग 3 करोड़ बच्चे आज भी विद्यालय की दहलीज तक नहीं पहुँच सके हैं।

भारत में महिला शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न शैक्षिक नीतियाँ—

भारत में महिला शिक्षा के विकास तथा महिलाओं को राष्ट्रीय मुख्यधारा का अभिन्न अंग बनाने के लिए किए गए प्रमुख प्रयासों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

- **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49)** ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि समाज के आधे हिस्से अर्थात् महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए। आयोग का मत था कि पुरुषों और महिलाओं को एक समान शिक्षा देने के बजाय ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जो महिलाओं की प्रकृति, भूमिका और आवश्यकताओं के अनुरूप हो तथा उन्हें एक सक्षम और जागरूक नागरिक बनने में सहायता प्रदान करे।
- **माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)** ने महिला शिक्षा पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया, किंतु इसने बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान शिक्षा की विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा आवश्यकता पड़ने पर पृथक बालिका विद्यालय खोलने का सुझाव दिया।
- **दुर्गाबाई देशमुख समिति (1957)** जिसका गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था, ने पुरुष और महिला शिक्षा के बीच व्याप्त अंतर को यथाशीघ्र समाप्त करने की सिफारिश की।
- **भक्तवत्सलम समिति (1963)** जिसका गठन महिला शिक्षा के प्रति जनसहयोग की कमी के कारणों का पता लगाने के लिए किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट में अन्य सुझावों के साथ यह अनुशंसा की कि प्रत्येक 300 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय, प्रत्येक 3 मील की दूरी पर एक जूनियर हाई स्कूल तथा प्रत्येक 5 मील की दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- **हंसा मेहता समिति (1964)** ने अपनी रिपोर्ट में लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारण का विरोध किया तथा प्राथमिक स्तर पर बालक और बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम तथा उच्च स्तर पर आवश्यकतानुसार भिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था का सुझाव दिया।
- **कोठारी आयोग (1964-66)** ने महिला शिक्षा के विकास के लिए अब तक की गई सभी सिफारिशों का समर्थन किया। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकारों को विशेष योजनाओं, प्रोत्साहनों तथा पर्याप्त संसाधनों के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और इस मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।
- **देश की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)** में सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से बालक और बालिकाओं के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया तथा बालिका शिक्षा के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया गया।
- **फुलेनु गुहा समिति (1971-74)** जिसका गठन महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था, ने शिक्षा के सभी स्तरों पर सह-शिक्षा पर बल दिया।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)** में महिला समानता की प्राप्ति हेतु शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। इस नीति में महिला साक्षरता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति (आचार्य राममूर्ति समिति, 1990)** ने अपनी रिपोर्ट में 'शिक्षा और महिला समानता' के लिए अनेक ठोस कदम उठाने की बात कही। समिति ने सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कम से कम 50 प्रतिशत पदों पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- **वर्तमान में संचालित सर्व शिक्षा अभियान (2001-2010)** के अंतर्गत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि वर्ष 2010 तक देश के सभी 14 वर्ष तक के बच्चों को आठवीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाए। वर्ष 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, जिसने महिला शिक्षा के विस्तार को एक सशक्त संवैधानिक आधार प्रदान किया।

भारत में महिला शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम—

भारत में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उसके व्यापक विकास के उद्देश्य से केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है—

- **केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ—** महिला शिक्षा के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा विशेष आवासीय विद्यालय योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, अल्पसंख्यकों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय पालनाघर योजना, दिव्यांग बच्चों के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण योजना, स्नातकोत्तर प्रतिभा

छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, एकल बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना तथा इंदिरा गांधी एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना जैसी अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

- **राज्य स्तरीय योजनाएँ**— विभिन्न राज्यों द्वारा भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट योजनाएँ आरंभ की गई हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की बालिकाश्री योजना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना, बालिकाओं के लिए निःशुल्क विद्यालय ड्रेस योजना, हरियाणा की लाड़ली बेटी योजना, मध्य प्रदेश की गाँव की बेटी योजना, छत्तीसगढ़ की एकलव्य विद्यालय योजना, मेधावी छात्राओं के लिए निःशुल्क स्कूटी योजना आदि प्रमुख हैं।
- **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन**— जनगणना 2001 के अनुसार जिन 47 जिलों में महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम थी, वहाँ इस मिशन के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें से अधिकांश जिले बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्यों में स्थित हैं।
- **सर्व शिक्षा अभियान**— यह अभियान देश में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है और लगभग 94 प्रतिशत जनसंख्या इससे लाभान्वित हो रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामांकन एवं प्रवेश प्रक्रिया में सुधार के साथ-साथ बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009**— इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। यह देखा गया है कि अनेक अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा पर आर्थिक व्यय करने से हिचकिचाते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होने से बालिकाओं के नामांकन और विद्यालय में बने रहने की दर में तीव्र वृद्धि हुई है।
- **एकल बालिका प्रोत्साहन योजना (2005)**— केवल एक पुत्री वाले अभिभावकों को बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2005 में एकल बालिका प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई।

निष्कर्ष

देशभर में शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं के बीच विद्यमान लैंगिक भेद को समाप्त करने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं तथा 'महिला समस्या' के समाधान की दिशा में सार्थक और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएँ जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। वर्तमान समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाओं ने अपनी क्षमता, दक्षता और प्रतिभा का परिचय न दिया हो। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज महिलाओं का एक बड़ा वर्ग अपनी संवेदनशीलता, संवाद क्षमता और सामाजिक चेतना के माध्यम से एक सशक्त एवं समृद्ध समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए आगे आ रहा है।

संविधान द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रावधानों और कानूनों ने महिलाओं में जागरूकता और आत्मविश्वास का संचार किया है, किंतु यह स्थिति संतोषजनक मानकर निष्क्रिय बैठ जाने का विषय नहीं है। अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है और इसके लिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा। महिलाओं को आत्ममंथन करते हुए अपनी कमजोरियों

की पहचान करनी होगी, उन्हें दूर करना होगा, अपने अधिकारों की माँग के साथ-साथ अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का भी निष्ठापूर्वक निर्वहन करना होगा। साथ ही निरक्षर महिलाओं को शिक्षित करने, समानता की माँग के साथ स्वयं को उस समानता के योग्य सिद्ध करने तथा समाज में व्याप्त रूढ़ियों, कुरीतियों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के उन्मूलन के लिए सक्रिय प्रयास करने होंगे।

आज विभिन्न सामाजिक संदर्भों में महिलाओं की भूमिका और योगदान को न केवल पुरुषों द्वारा, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्रकृतीनों स्तरों पर स्वीकार किया जाने लगा है। यह स्वीकृति महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भविष्य में एक अधिक न्यायपूर्ण, समतामूलक एवं सशक्त समाज की आधारशिला रखती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- भारत की जनगणना-2011, प्रकाशन प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- दास, एस. आर. (2006) 'महिला सशक्तिकरण— एक समग्र दृष्टिकोण' डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 42-43
- अनुसूचित जनजाति महिलाओं में शिक्षा की स्थिति पर विकास रिपोर्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली।
- सर्व शिक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट— 2000, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
- गणेशमूर्ति, वी. एस. (2008) 'भारत में महिला सशक्तिकरण—सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य', न्यू सेंचुरी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 4।
- इंडिया-2006: वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- श्रीदेवी, टी. ओ. (2005) 'महिला सशक्तिकरण— एक प्रणालीगत विश्लेषण' चर्चा पत्र।